भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3720
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

एनएपीएस के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की पढ़ाई छोड़ने की दर

3720. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत पंजीकृत प्रशिक्षुओं की राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में कुल संख्या कितनी है और उच्चतम भागीदारी दर वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) एनएपीएस के अंतर्गत प्रशिक्षुओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर का उद्योगवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और निर्माण जैसे उद्योगों में कौशल की मांगों को एनपीएस प्रशिक्षुता किस हद तक पूरा करता है तथा किसी उद्योग विशिष्ट की आवश्यकता में कौशल की मांग संबंधी चुनौती को कैसे पूरा करता है; और

(घ) एनएपीएस के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षुओं की राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में संख्या कितनी है जिन्होंने अपनी प्रशिक्षुता पूरी करने के छह माह के भीतर स्थायी रोजगार प्राप्त कर लिया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) देश में कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण प्रमुख घटकों में से एक है और यह 'कौशल भारत' में योगदान देता है। अगस्त, 2016 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना को वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए विस्तारित किया गया था और शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों के तहत संलग्न शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। एनएपीएस-2 के अंतर्गत, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा शिक्षुओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष

लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वृत्तिका सहायता का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2018 में एक राष्ट्रीय पोर्टल (www.apprenticeshipindia.gov.in) शुरू किया गया था। यह पोर्टल एनएपीएस के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रबंधन के लिए मुख्य प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है और संपूर्ण शिक्षुता जीवन-चक्र के अद्योपांत प्रबंधन का समर्थन करता है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वृत्तिका का भुगतान भी शामिल है। विगत तीन वर्षों (वित्त-वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त-वर्ष 2023-24 तक) के दौरान राज्य-वार योजना के तहत पंजीकृत कुल प्रशिक्षुओं की संख्या **अनुबंध में तालिका 1** के रूप में दी गई है। पिछले तीन वर्षों (वित्त-वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त-वर्ष 2023-24 तक) के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर योजना के तहत शिक्षुओं की क्षेत्र-वार भागीदारी **अनुबंध में तालिका-2** के रूप में दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षुओं की नियुक्ति, क्षेत्र-वार (वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक) **अनुबंध में तालिका 3** के रूप में दी गई है।

(ख) वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान उद्योग/क्षेत्र-वार योजना के अंतर्गत ड्रॉपआउट दर **अनुबंध की तालिका 4** में दी गई है। वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक राज्यवार ड्रॉपआउट दर **अनुबंध की तालिका 5** में दी गई है।

(ग) शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों के अनुसार, चार या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान/नियोक्ता इस योजना के तहत शिक्षुओं को नियुक्त करने और शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के पात्र हैं, जिसे मोटे तौर पर नामित ट्रेड (डीटी) और वैकल्पिक ट्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिनियम संशोधन 2014 में उद्योगों के लिए वैकल्पिक ट्रेड के रूप में अपना स्वयं का कार्यक्रम संचालित करने का प्रावधान किया गया। नियोक्ता/प्रतिष्ठान की कौशल मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। उद्योगों/क्षेत्रों की ऐसी कौशल मांगों को पूरा करने के लिए 260 से अधिक नामित ट्रेड और 750 से अधिक वैकल्पिक ट्रेड हैं, जिनमें विनिर्माण, आईटी-आईटीई और विनिर्माण भी शामिल हैं।

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत, शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों के प्रावधान के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा होने पर नियोक्ता की ओर से शिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, वर्ष 2016-2020 की अवधि के लिए योजना का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जो दर्शाता है कि युवा इसे रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम मानते हैं। 91% ने महसूस किया कि कार्यक्रम ने रोजगार के लिए उनकी स्व-योग्यता में सुधार किया है, 85% उत्तरदाताओं ने व्यावहारिक प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी पाया और 68% ने दृढ़ता से महसूस किया कि इस कार्यक्रम ने उन्हें अधिक नियजनीय बनाया है, 82% शिक्षुओं को लगा कि वे बिना प्रमाण-पत्र धारक की तुलना में शिक्षुता पाठ्यक्रम करने के प्रमाण-पत्र के साथ रोजगार पाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

"एनएपीएस के तहत प्रशिक्षुओं के बीच ड्रॉपआउट दर" के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3720 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

[स्रोत: www.apprenticeshipindia.gov.in]

तालिका 1: विगत तीन वर्षों (वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24) में एनएपीएस के तहत पंजीकृत शिक्षुओं की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल योग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,109
2.	आंध्र प्रदेश	1,50,447
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,247
4.	असम	73,943
5.	बिहार	1,95,222
6.	चंडीगढ़	3,536
7.	छत्तीसगढ	46,147
8.	दिल्ली	52,269
9.	गोवा	28,725
10.	गुजरात	2,58,259
11.	हरियाणा	1,68,184
12.	हिमाचल प्रदेश	37,749
13.	जम्मू और कश्मीर	13,622
14.	झारखंड	87,190
15.	कर्नाटक	1,73,018
16.	केरल	94,870
17.	लद्दाख	419
18.	लक्षद्वीप	192
19.	मध्य प्रदेश	1,39,630
20.	महाराष्ट्र	6,56,417
21.	मणिपुर	2,357
22.	मेघालय	1,822
23.	मिजोरम	592
24.	नागालैंड	1,137
25.	ओडिशा	1,01,013
26.	पुदुचेरी	5,726
27.	पंजाब	59,360
28.	राजस्थान	1,05,395
29.	सिक्किम	1,059
30.	तमिलनाडु	2,47,846
31.	तेलंगाना	1,07,952
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,919
33.	त्रिपुरा	8,710
34.	उत्तर प्रदेश	5,45,101
35.	उत्तराखंड	43,999
36.	पश्चिम बंगाल	1,53,554
37.	राज्य का विवरण उपलब्ध नहीं है	200
	सकल योग	**35,69,737**

तालिका 2: अखिल भारतीय स्तर पर (वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक) एनएपीएस के तहत शिक्षुओं की क्षेत्र-वार नियुक्ति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	संलग्न शिक्षु
1.	ऑटोमोटिव	3,49,501
2.	आईटी-आईटीईज़	2,47,660
3.	इलेक्ट्रिकल (नई और नवीकरणीय ऊर्जा सहित)	2,09,753
4.	उत्पादन और विनिर्माण	2,02,844
5.	खुदरा	1,78,975
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स	1,72,363
7.	ऑटोमोबाइल	74,686
8.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)	69,136
9.	पर्यटन और आतिथ्य	56,356
10.	रबर	56,262
11.	दूरसंचार	55,995
12.	जीवन विज्ञान	54,693
13.	पूंजीगत सामान	53,293
14.	निर्माण	51,055
15.	प्रबंधन और उद्यमशीलता और पेशेवर कौशल	49,874
16.	लॉजिस्टिक्स	44,084
17.	घरेलू कर्मचारी	42,038
18.	खाद्य प्रसंस्करण	39,846
19.	परिधान मेड-अप और होम फर्निशिंग	34,358
20.	निर्माण	29,226
21.	मरम्मत और रखरखाव सहित सेवाएँ	27,632
22.	वस्त्र	26,472
23.	रसायन	19,377
24.	सौंदर्य और कल्याण	12,342
25.	रत्न और आभूषण	11,686
26.	कृषि	10,794
27.	परिधान	10,619
28.	स्वास्थ्य सेवा	10,322
29.	स्वास्थ्य सेवा और कल्याण	6,656
30.	औद्योगिक स्वचालन और इंस्ट्रूमेंटेशन	5,146
31.	लोहा और इस्पात	5,142
32.	ग्रीन जॉब्स	5,114
33.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण	3,007
34.	खुदरा और रसद	2,480
35.	बिजली	2,197
36.	चमड़ा	1,704
37.	पेंट और कोटिंग्स	1,386
38.	कृषि और संबद्ध सेवाएँ	1,265
39.	मीडिया और मनोरंजन	1,217
40.	हाइड्रोकार्बन	1,175
41.	एयरोस्पेस और विमानन	760
42.	समुद्री	678
43.	हस्तशिल्प और कालीन	590
44.	फर्नीचर और फिटिंग	573
45.	खनन	496
46.	खनन और खनिज	416
47.	प्लंबिंग	288
48.	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश	61
49.	विकलांग व्यक्ति	26
50.	क्षेत्र विवरण उपलब्ध नहीं है	19,483
	सकल योग	**22,61,102**

तालिका 3: आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षुओं की नियुक्ति, क्षेत्र-वार (वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक) नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	संलग्न शिक्षु
1.	खुदरा	10,124
2.	आईटी-आईटीईज़	5,482
3.	उत्पादन और विनिर्माण	5,417
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स	4,663
5.	ऑटोमोटिव	4,619
6.	इलेक्ट्रिकल (नई और नवीकरणीय ऊर्जा सहित)	4,577
7.	ऑटोमोबाइल	3,789
8.	सौंदर्य और कल्याण	1,934
9.	घरेलू कर्मचारी	1,689
10.	लॉजिस्टिक्स	1,615
11.	जीवन विज्ञान	1,562
12.	निर्माण	1,032
13.	रबर	1,016
14.	प्रबंधन और उद्यमिता और पेशेवर कौशल	955
15.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)	713
16.	परिधान मेड-अप और होम फर्निशिंग	713
17.	पर्यटन और आतिथ्य	662
18.	निर्माण	492
19.	मरम्मत और रखरखाव सहित सेवाएँ	447
20.	कृषि	304
21.	खाद्य प्रसंस्करण	270
22.	पूंजीगत सामान	201
23.	वस्त्र	200
24.	दूरसंचार	149
25.	औद्योगिक स्वचालन और इंस्ट्रूमेंटेशन	138
26.	लोहा और इस्पात	134
27.	चमड़ा	118
28.	रसायन	111
29.	समुद्री	45
30.	स्वास्थ्य सेवा	25
31.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण	20
32.	एयरोस्पेस और विमानन	15
33.	स्वास्थ्य सेवा और कल्याण	14
34.	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश	10
35.	बिजली	10
36.	पेंट और कोटिंग्स	9
37.	प्लंबिंग	8
38.	मीडिया और मनोरंजन	5
39.	परिधान	5
40.	हाइड्रोकार्बन	5
41.	कृषि और संबद्ध सेवाएँ	4
42.	विकलांग व्यक्ति	3
43.	फर्नीचर और फिटिंग	2
44.	ग्रीन जॉब्स	1
45.	क्षेत्र विवरण उपलब्ध नहीं है	319
	सकल योग	**53,626**

तालिका 4: विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक) के दौरान क्षेत्र-वार एनएपीएस के तहत ड्रॉप-आउट की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	ड्रॉप-आउट प्रतिशत
1	एयरोस्पेस और एविएशन	9.87%
2	कृषि	28.00%
3	कृषि और संबद्ध सेवाएँ	17.39%
4	परिधान	28.43%
5	परिधान मेड-अप और होम फर्निशिंग	36.55%
6	ऑटोमोबाइल	10.79%
7	ऑटोमोटिव	39.31%
8	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)	28.95%
9	सौंदर्य और कल्याण	66.56%
10	पूंजीगत सामान	41.02%
11	रसायन	14.21%
12	निर्माण	12.68%
13	घरेलू कर्मचारी	44.70%
14	विद्युत (नई और नवीकरणीय ऊर्जा सहित)	11.19%
15	इलेक्ट्रॉनिक्स	38.56%
16	निर्माण	12.87%
17	खाद्य प्रसंस्करण	31.96%
18	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण	28.00%
19	फर्नीचर और फिटिंग	10.99%
20	रत्न और आभूषण	36.86%
21	हरित नौकरियाँ	26.38%
22	हस्तशिल्प और कालीन	2.03%
23	स्वास्थ्य सेवा	14.93%
24	स्वास्थ्य सेवा और कल्याण	21.95%
25	हाइड्रोकार्बन	12.43%
26	औद्योगिक स्वचालन और इंस्ट्रूमेंटेशन	11.47%
27	लोहा और इस्पात	20.38%
28	आईटी-आईटीईएस	36.13%
29	चमड़ा	18.72%
30	जीवन विज्ञान	36.46%
31	लॉजिस्टिक्स	31.14%
32	प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल	30.23%
33	समुद्री	12.83%
34	मीडिया और मनोरंजन	29.50%
35	खनन	3.23%
36	खनन और खनिज	7.45%
37	पेंट और कोटिंग्स	31.67%
38	व्यक्ति विकलांगता	15.38%
39	प्लम्बिंग	96.18%
40	बिजली	16.66%
41	उत्पादन और विनिर्माण	13.07%
42	खुदरा	29.13%
43	खुदरा और रसद	56.25%
44	रबर	38.19%
45	मरम्मत और रखरखाव सहित सेवाएँ	19.04%
46	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश	1.64%
47	दूरसंचार	43.39%
48	वस्त्र	29.35%
49	पर्यटन और आतिथ्य	29.46%

तालिका 5: पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य-वार एनएपीएस के तहत स्कूल छोड़ने वालों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	ड्रॉप-आउट प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.27%
2	आंध्र प्रदेश	31.88%
3	अरुणाचल प्रदेश	10.40%
4	असम	14.54%
5	बिहार	16.93%
6	चंडीगढ़	32.31%
7	छत्तीसगढ	12.89%
8	दिल्ली	32.50%
9	गोवा	32.99%
10	गुजरात	25.98%
11	हरियाणा	31.49%
12	हिमाचल प्रदेश	31.41%
13	जम्मू और कश्मीर	19.10%
14	झारखंड	12.14%
15	कर्नाटक	27.82%
16	केरल	15.55%
17	लद्दाख	11.61%
18	लक्षद्वीप	0.00%
19	मध्य प्रदेश	26.33%
20	महाराष्ट्र	32.31%
21	मणिपुर	16.43%
22	मेघालय	25.49%
23	मिजोरम	5.00%
24	नागालैंड	9.38%
25	ओडिशा	14.54%
26	पुदुचेरी	20.58%
27	पंजाब	31.67%
28	राजस्थान	25.70%
29	सिक्किम	28.71%
30	तमिलनाडु	31.88%
31	तेलंगाना	37.14%
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11.73%
33	त्रिपुरा	28.24%
34	उत्तर प्रदेश	29.77%
35	उत्तराखंड	39.45%
36	पश्चिम बंगाल	26.40%

*****